न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 149/2024

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. तथा धारा 136 एल.आर.एक्ट

1. गुरलाल सिंह पुत्र रुप सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेडा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
2. जगजीत सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेडा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब

–वादीगण

बनाम्

1. बलजीत कौर पत्नी रुप सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेडा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
2. सुरेन्द्र कौर पुत्री रुप सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेडा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
3. बसन्त सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेडा तह. मंलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
4. राणा सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेडा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादीगण की ओर से :- श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू, एडवोकेट
प्रतिवादीगण सं. 1ता4 की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 6.9.2024

वादीगण की ओर से जरिये वकील उक्त दावा इन तथ्यो के आधार पर पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक बरजिन्द्र सिंह के वारिसान है। उक्त दावा की सही स्थिति को समझने के लिए हमारे संयुक्त परिवार की वंशावली को समझना अति आवश्यक है। जो दावा की दफा 2 में दर्ज है। वादीगण सं. 1 तथा वादीगण सं. 2 व प्रति सं. 3 ता 4 के नाम [illegible] 23 एम.[illegible] खाता सं. 39/92 खाता जगजीत सिंह वगैरा ज.सं. 2071-74 [illegible] में आराजी राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न [illegible] पत्र है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी रूप सिंह पुत्र बरजिन्द्र सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रूप सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह फौत हो गये है।

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:0
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जिनके वारिस वादीगण सं. 1 तथा प्रति सं. 1 व 2 है। जो कि रूप सिंह के नाम दर्ज आराजी के ब.हि.ब. के विरास्तन हकदार है। किन्तु प्रति सं. 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण सं. 1 के पक्ष में कर दिया है। अतः रूप सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादीगण सं. 1 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति सं. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिकी वादीगण सं. 1 प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी बरजिन्दर सिंह पुत्र बखतावर सिंह के फौत होने के बाद उनके पुत्रो वादीगण सं. 2 जगमीत सिंह तथा प्रति सं. 3 व 4 बसन्त सिंह, राणा सिंह के नाम दर्ज हुई। लेकिन चक 23 ए.एम. पी. खाता सं. 39/92 खाता जगजीत सिंह वगैरा ज.सं. 2071-74 में वादीगण सं. 1 के दादा तथा वादीगण सं. 2 तथा प्रति सं. 3 व 4 के पिता का नाम बरजिन्दर सिंह के स्थान पर वरजिन्द्र सिंह दर्ज है। जो कि गलत रूप से दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के कर्मचारीयो द्वारा सहबन से हुई है तथा काबिल दुरुस्ती है। इसी प्रकार वादीगण सं. 2 का नाम दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी में हरपाल सिंह पुत्र वरजिन्दर सिंह दर्ज कर दिया है। जबकि हरपाल सिंह व जगजीत सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह एक ही व्यकित के दो नाम है। वादीगण स 2 को जगजीत सिंह व हरपाल सिंह दोनो ही नामो से जाना एव पहचाना जाता है। जबकि वादीगण सं. के पिता का नाम उनके आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, में बरजिन्दर सिंह दर्ज है तथा वादीगण सं. 2 का नाम उक्त दस्तावेजो में जगजीत सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह दर्ज है। जो कि सही है। उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। अतः वांदी सं. 1 के दादा तथा वादीगण सं. 2 के पिता का नाम बरजिन्दर सिंह के स्थान पर वरजिन्द्र सिंह व वादीगण सं. 2 का नाम जगजीत सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह के स्थान पर हरपाल सिंह पुत्र वरजिन्द्र सिंह दर्ज होने से वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पडता है जो की एक लिपीकिय त्रुटि है। व सहबन से दर्ज हुई है व काबिल दुरुस्ती है। अतः वादीगण सं. 1 के दादा तथा वादीगण सं. 2 व प्रति सं. 3 व 4 अपने पिता का नाम दुरुस्त करवा वरजिन्द्र सिंह के स्थान पर बरजिन्दर सिंह तथा वादीगण स 2 का नाम हरपाल सिंह पुत्र वरजिन्द्र सिंह के [illegible] 3 जगजीत सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह दर्ज करवाना चाहते [illegible] दफा 4 के मुताबिक ख[illegible] दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 5 के अनुसार दुरुस्ती करवा इसी अनुसार काश्तकार मान दावा की दफा

लगातार-3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:03
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं
... अधिकारी
...रिया

राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए। यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश होने के बाद सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से जरिये वकील जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वादीगण के उक्त दावा पर सहमति व्यक्त की गई तथा वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जारी नही की। प्रतिवादीगण सं. 5 की ओर से जरिये राजपैरोकार जवाब दावा पेश किया जो शामिल किया गया। चुंकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वादीगण के दावा का कोई विरोधाभास नही है। इसलिये जवाब उल जवाब तथा तनकीआत की कोई आवश्यकता नही है। साक्षय वाद में वकील वादीगण द्वारा वादीगण सं. 1 गुरलाल सिंह पुत्र श्री रूप सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत ओ. 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जो शामिल पत्रावली किया तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। चुंकि उक्त दावा में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी सं. 1 के दादा तथा वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 व4 के पिता का नाम तथा वादी सं. 2 का नाम जगजीत सिंह तथा हरपाल सिंह को सिद्ध किया जाना उचित नही है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से उक्त नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। जिस सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व के क्रमांक भू.अ./ 24/3373 दिनांक 03.08.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट में वादी सं. 2 का नाम जगजीत सिंह एवं हरपाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नामों की अनुशंषा की गई है जिसमें वादी सं. 2 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड में जगजीत सिंह पुत्र श्री बरजिन्द्र सिंह दर्ज है तथा ग्राम पंचायत बिरकखेडा के सरपंच एवं नम्बरदार द्वारा वादी सं. 2 का नाम जगजीत सिंह पुत्र श्री बरजिन्द्र सिंह होना बताया है। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्षय पेश नही करने पर साक्षय बंद किये गये। दौराने बहस व[illegible] वादीगण द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्षय के आधार पर तथा तहसीलदार राजस्व

लगातार --4

[illegible] कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra
Meena
Date: 2024.09.11 17:0
Reason: SelfAttested

संगरिया के क्रमांक भू.अ./ 24/3373 दिनांक 03.08.2024 उक्त दावा पूर्णतः सिद्ध है। तथा वादी सं. 2 का नाम तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि जगजीत सिंह पुत्र श्री बरजिन्द्र सिंह व हरपाल सिंह पुत्र श्री बरजिन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। तथा वादी सं 2 का नाम हरपाल सिंह पुत्र श्री बरजिन्द्र सिंह के स्थान पर जगजीत सिंह पुत्र श्री बरजिन्द्र सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है। इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 23 ए.एम.पी. खाता स. 39/92 खाता जगजीत सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में रूप सिह पुत्र बरजिन्दर सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी स. 1 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा उक्त खाता से रूप सिह पुत्र बरजिन्दर सिह का नाम कलमजन किया जावे। तथा चक 23 ए.एम.पी. खाता स. 39/92 खाता जगजीत सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में वादी स. 1 के दादा तथा वादी स. 2 व प्रति स. 3 व 4 के पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर वरजिन्द्र सिह के स्थान पर बरजिन्दर सिह दर्ज किया जावे तथा वादी स. 2 का नाम दुरूस्त किया जाकर हरपाल सिह पुत्र बरजिन्दर सिह के स्थान पर जगजीत सिह पुत्र बरजिन्द्र सिह दर्ज किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.11 17:07:03 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 149/2024

1. गुरलाल सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेड़ा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
2. जगजीत सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेड़ा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब

-वादीगण

बनाम्

1. बलजीत कौर पत्नी रूप सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेड़ा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
2. सुरेन्द्र कौर पुत्री रूप सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेड़ा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
3. बसन्त सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेड़ा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
4. राणा सिंह पुत्र बरजिन्दर सिंह जाति जटसिख सा. विरकखेड़ा तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू, एडवोकेट

प्रतिवादीगण सं. 1ता4 की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

दावा अंतर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक :- 6.9.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र ... वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह ... सं. 1ता4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म ...

Signature Not Verified
Digitally signed by: Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:03
Reason: SelfAttested

लगातार-2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया